



## सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

पत्रांक सं०सं०वि०वि० कु.स. 727/2021

दिनांक: 10.04.2021

### कार्यालय आदेश

एतद्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान समय में COVID-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत माननीय कुलाधिपति महोदय श्री राज्यपाल उ०प्र० द्वारा राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कुलसचिवों से वर्चुअल बैठक तथा राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या-ई 2885/2021 दिनांक 09 अप्रैल, 2021 में दिये गए निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि महाविद्यालयों के प्राचार्य, अध्यापक गण, अन्य कर्मचारी गण तथा उनके परिवारीजनों, जो 45 वर्ष की आयु सीमा से ऊपर हों, को COVID-19 का टीका (Vaccine) लगवाया जाना अनिवार्य है।

इस निमित्त अपने महाविद्यालय के निकटतम टीकाकेन्द्रों पर जाकर, सामान्य जनों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार करते हुए शासन द्वारा मान्य आयु सीमा के अन्तर्गत अपने तथा समस्त अध्यापक एवं कर्मचारी गण सहित अन्य पारिवारिक सदस्यों का टीकाकरण अनिवार्य रूप से करते हुए प्रथम खुराक एवं द्वितीय खुराक के टीका लगने की सूचना प्रमाण सहित कुलसचिव के email-id [ssvregistrar@gmail.com](mailto:ssvregistrar@gmail.com) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शासन द्वारा दिनांक 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 के बीच विशेष टीका उत्सव मनाने के अभियान को सफल बनाने हेतु नजदीकी टीकाकरण केन्द्र से समन्वय स्थापित कर टीकाकरण सुनिश्चित करायें तथा उत्सव की सूचना भी अधोहस्ताक्षरी को देने का कष्ट करें।

यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि टीकाकरण होने के बाद भी COVID-19 से बचाव के सामान्य नियमों यथा ठीक से मास्क लगाना, दो गज की भौतिक दूरी बनाये रखना, बार-बार साबुन से हाथ धोना एवं सेनेटाइजर का उपयोग करना इत्यादि नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करायें।

  
कुलसचिव  
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोनार्थ।
2. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
3. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय।
4. सिस्टम मैनेजर, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालयों के लॉगिन पर प्रदर्शित/प्रेषित कराने का कष्ट करें।
5. उपकुलसचिव (परीक्षा/शैक्षिक)।
6. समस्त सहायक कुलसचिव।

  
कुलसचिव  
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी